

भाग-2

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद जालौन के वन प्रभाग उरई में गेल इण्डिया लिमिटेड के द्वारा 36"/24" व्यास की झाँसी - औरैया - फूलपुर पाइपलाइन विजयपुर से फूलपुर तक डाले जाने का प्रस्ताव जिसके मार्ग में 0.005397 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी।
(क)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	थजला	जालौन
(ग)	वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)
(घ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हैक्टेयर में	0.005397 हैक्टेयर
(ङ)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(च)	हरियाली का घनत्व	0.10
(छ)	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए	संलग्न है
(ज)	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी	उक्त वनीकरण मार्ग के दोनों ओर स्थित है, इसमें भू-क्षरण की संवेदनशीलता नगण्य है।
(झ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वनजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथीकोरीडोर आदि का भाग है? (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा प्रमुख वनजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
(थ)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति को दुर्लभ/संकटापन एवं विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है यदि हाँ/तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(द)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा समक्ष प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो मांगे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या हैं?	प्रस्तावित वन भूमि की मांग परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं?	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	

(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन या उसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये सभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र	संलग्न है।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित ढाँचा आदि	संलग्न है।
(घ)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है। 1475550.00 1374000.00
(ङ)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये।	संलग्न है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम नं० 7 (थ) एवं 7 (द), 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	कोई नहीं।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 4565 वर्ग कि०मी० भौगोलिक क्षेत्र है।
ii	जिले का वन क्षेत्र	प्रभाग का कुल 25639.35 हैक्टेयर वन क्षेत्र है।
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	5 मामले (55.148 हे०)
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	55.148 हे०
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनेत्तर भूमि	55.148 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	52.50 हे०
(क)	वन भूमि पर	52.50 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लाने के संबंध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

स्थान : उरई

उप-प्रभारी वनाधिकारी
उरई, वन प्रभाग
उरई (जालौन)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयाग
जालौन सा०वा वन प्रभाग उरई।